

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stplsg407@gmil.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक : F.59 ACTP/DLB/EO DB(91)/18/133

दिनांक :- 22.01.2024

आदेश

विषय:-रजिस्ट्रेशन की ऑनलाईन सूचना प्राप्त होने पर नामान्तरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में नामान्तरण हेतु पंजीयन व मुद्रांक कार्यालय से राजस्व भूमि के रजिस्ट्रेशन (क्रय-विक्रय) की ऑनलाईन सूचना प्राप्त होने पर नामान्तरण की प्रक्रिया स्वतः ही प्रारंभ कर दी जावे। नामान्तरण हेतु आवेदक से पृथक से ऑनलाईन आवेदन लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : F.59 ACTP/DLB/EO DB(91)/18/134-140

दिनांक :- 22.01.2024

प्रतिलिपित निम्न को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर।
5. क्षेत्रिय उपनिदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है, कि अपने अधीन समस्त नगरीय निकायों को उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
8. रक्षित पत्रावली।


अति. मुख्य नगर नियोजक